



कार्यालय वन वृत्त, बैतूल (म.प्र.)

कार्यालय : टेलीफोन/फैक्स (07141) 234396 ccf.btl@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2017/554

बैतूल, दिनांक/20/03/2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(कक्ष-भू-प्रबंध)

सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल

विषय: सतपुडा टाईगर रिजर्व से वनग्राम मालनी भाग-1। के विस्थापन हेतु वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव बाबत।

- संदर्भ: 1-आपका पत्र क्र0/एफ-5/802/ 2016/10-11/2795, दिनांक 24.12.2016 एवं क्र0/भू-प्रबंध/विविध/761, दिनांक 16.03.2017, द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप।
2-इस कार्यालय का पत्र पृ. क्रमांक/मा.चि./2017/842, दिनांक 16.02.2017 एवं पत्र क्रमांक/मा.चि./2017/412, दिनांक 10.03.2017,
3-वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सामान्य वनमंडल का पत्र क्रमांक/मा.चि./2017/216, दिनांक 12.02.2017 एवं,
4-मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्रसंचालक, सतपुडा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/मा.चि./1670, दिनांक 16.03.2017 जो आपको सम्बोधित पत्र है, प्रति संलग्न।

==000==

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनमंडलाधिकारी उत्तर सा. वनमंडल बैतूल के द्वारा विषयांकित प्रस्ताव आनलाईन प्रस्तावित किया गया है, तदनुसार प्राप्त प्रस्ताव की प्रति मय संलग्नक सहित संलग्न है।

अतः विषयांकित प्रस्ताव में संदर्भित पत्रों से की गई अनुशंसा के अनुरूप प्रस्ताव के भाग-1,1। एवं 1।। की आनलाईन प्रविष्टि पृष्ठ एवं स्थल निरीक्षण दिनांक 15.02.2017 जो तत्समय मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त बैतूल के द्वारा किया गया है, जिसकी प्रति कार्यालय संदर्भित पत्र पृ. क्रमांक/मा.चि./2017/842, दिनांक 16.02.2017 (प्रति संलग्न है।) (Site Inspection) रिपोर्ट प्रति सहित प्रस्ताव की साफ्टकापी/हार्डकापी की प्रति आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशानुसार आनलाईन प्रस्ताव कर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार, प्रस्ताव प्रति।

(आर.एस.अलावा)

मुख्य वन संरक्षक,

बैतूल

20.03/17

प्रतिलिपि:-

- 1-प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कक्ष-वन्यप्राणी, म.प्र. भोपाल एवं,
- 2-मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, सतपुडा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद, म.प्र. एवं,
- 3-वनमंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमंडल बैतूल की ओर विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(आर.एस.अलाव)
मुख्य वन संरक्षक,

बैतूल

16/3/17

भाग - III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।		हां। दिनांक 15/02/2017 स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
15.	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।		सहमत है।
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।		वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) के द्वारा प्रस्तावित ग्राम मालनी रकबा-87.170 हेक्टेयर जो सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के अंदर बसे हुए ग्राम के विस्थापन हेतु आवेदित कक्षा क्रमांक - आर.एफ.-154 रकबा 285.700 हेक्टे. क्षेत्र जो अत्यधिक प्रतीत होता है को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तावित किया जाकर व्यपर्वतन किया जाना संकोचप्रद है। अतः प्रस्ताव में मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एवं वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) के द्वारा प्रस्ताव के भाग - II में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदित कक्षा क्रमांक - आर.एफ.-154 रकबा 285.700 हेक्टे. क्षेत्र के व्यपर्वतन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तावित प्रस्ताव में अनुशंसा की जाती है।

तिथि :- /03/2017

स्थान :- बैतूल

हस्ताक्षर

(आर.ए.ए.अलावा)
नाम साफ अक्षरों में : अमर-के.साप्प (भा.व.से.)

मुख्य वन संरक्षक

बैतूल वन बैतूल (म.प्र.)

16/3/17

16/3/17